

सुदीप कुमार जायसवाल,
एच0जे0एस0
सचिव



उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

इलाहाबाद, बदायूं, बहराइच, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बदौली, देवरिया, इटावा,
फैजाबाद, हाथरस, कौशांबी, ललितपुर, मिर्जापुर, मऊ, मथुरा, मधेपुरा, महाराजगढ़,
शहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, बाबूली, उन्नाव एटा, गोरखपुर,
आसी, लखीमपुर खीरी, मेरठ, महाराजगंज तथा मुल्तानपुर।

पत्रांक: 409 / एसएलएसए-55/2010(न्यु) दिनांक फरवरी 7, 2020
विषय: पैरालीमल स्वयं सेवकों का नामांकन/पुनर्नामांकन एवं प्रशिक्षण के संबंध में।
महोदय,

राज्य प्राधिकरण के पत्र सं० 1839/एसएलएसए-55/2010(न्यु)दिनांक
10-07-2019 (मिथा प्रति संलग्न) के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, इस
सम्बन्ध में आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त त्रैमासिक आख्या के
अवलोकन से प्रतीत होता है कि जनपद के पैरालीमल स्वयं सेवकों की संख्या
शून्य/कम है।

नालसा पैरालीमल स्वयं सेवक स्कीम-2010 के अनुसार प्रत्येक मुख्यालय
पर 50 तथा तहसील स्तर पर 25-25 (प्रति तहसील) पराविधिक स्वयं सेवकों
का वयन जिला प्राधिकरणों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया
'नालसा पराविधिक स्वयं सेवक स्कीम 2010' के अनुसार अपने जिले में
पराविधिक स्वयं सेवकों का नामांकन/पुनर्नामांकन तथा प्रशिक्षण करवा कर,
कार्यसंगोचन करते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को वार्षिक सूचित करने
का कष्ट करे।

संतोषक यथोक्त।

भवदीय,

S. K. Jainwal

25.02.2020

(सुदीप कुमार जायसवाल)

सचिव

सचिव, जिला विधिक सेवा प्रा-
धिकरण, मुल्तानपुर
सुनिश्चित करे।

(स)

28/2/2020

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा की
पराविधिक स्वयं सेवक स्कीम-2010
के अन्तर्गत प्रत्येक मुख्यालय पर 50
तथा तहसील स्तर पर 25-25 (प्रति तहसील)
पराविधिक स्वयं सेवकों का नामांकन/पुनर्नामांकन
तथा प्रशिक्षण करवा कर कार्यसंगोचन करते
हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को वार्षिक सूचित
करने का कष्ट करे।
12/03/20